न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 – 04/2018(2018/00309)

अनवान : –

1. सन्तोष पत्नी बलवानसिंह जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा।

अपीलान्ट।

बनाम

1. ग्राम पंचायत सुरतपुरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सुरतपुरा पंचायत समिति भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. राधादेवी पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
3. उर्मिला पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
4. प्रमिला पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
5. रेणु पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
6. भतेरी पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।

रेस्पोडेन्टस

प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने
नामान्तरकरण संख्या 1235
अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री सुरेन्द्र बैनीवाल अपीलान्ट

निर्णय दिनांक : 12/01/2021

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस की ओर से एक अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की रेस्पोडेन्ट के विरूद्व इन्तकाल संख्या 1235 दिनांक 19.12.2014 रोही मौजा ग्राम सुरतपुरा पटवार हल्का सुरतपुरा को अपास्त कर पुनः इन्तकाल खोले जाने हेतु अपील प्रस्तुत की। ग्राम सुरतपुरा के मुरब्बा नम्बर 111 के किला नम्बर 6, 7, 14 ता 18, 23 ता 25, मु0 न0 112 के किला न0 8 ता 13, 18 ता 23, मु0 न0 129 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 10, मु0 न0 130 के किला न0 3 ता 13, 19, 20, 22, मु0 न0 131 के किला न0 6, 14 ता 17, 24, मु0 न0 136 के किला न0 4, मु0 न0 154 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 23, मु0 न0 159 के किला न0 1, 2, 3, 10 कुल 16.192 हैक्टेयर रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 6 के पिता ओमप्रकाश के नाम 61–2/3 हिस्सा में से 10 हिस्सा अर्थात 0.126 हैक्टेयर कृषि भूमि अपीलान्ट ने रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 6 के पिता से क्रय की थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:11:56 IST
Reason: SelfAttested

ओमप्रकाश पुत्र रामस्वरूप के द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में 0.126 हैक्टेयर का बेचाननामा निष्पादित करवाने के बाद ओमप्रकाश का देहान्त हो गया तथा ओमप्रकाश के देहान्त होने पर विरास्तन ईन्तकाल संख्या 1235 दिनांक 19.12.2014 को दर्ज करवा लिया, जिसमें

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

विक्रय की गई 0.126 है0 भूमि भी शामिल थी, जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ग्राम पंचातय सुरतपुरा द्वारा तसदीक किया गया था।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 उपस्थित नही आयें, जिसके चलते उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस अपीलान्ट सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने कथन किया कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 के पिता से भूमि क्रय की थी। अपीलान्ट ने रोही मौजा ग्राम सुरतपुरा के मुरब्बा नम्बर 111 के किला नम्बर 6, 7, 14 ता 18, 23 ता 25, मु0 न0 112 के किला न0 8 ता 13, 18 ता 23, मु0 न0 129 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 10, मु0 न0 130 के किला न0 3 ता 13, 19, 20, 22, मु0 न0 131 के किला न0 6, 14 ता 17, 24, मु0 न0 136 के किला न0 4, मु0 न0 154 के किला न0 1, 2, 9 ता 12, 19 ता 23, मु0 न0 159 के किला न0 1, 2, 3, 10 कुल 16.192 हैक्टेयर रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 6 के पिता ओमप्रकाश के नाम 61–2/3 हिस्सा में से 10 हिस्सा अर्थात 0.126 हैक्टेयर कृषि भूमि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 6 के पिता से जरिये बैयनामा क्रय की थी। जिसका बैयनामा उप पंजीयक कार्यालय छानीबड़ी से दिनांक 23.06.2020 को अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित करवाया था।

बहस अपीलान्ट सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए नामान्तरकरण संख्या 1235 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा वाद भूमि की बाबत तस्दीक किये गये इन्तकाल संख्या 1235 दिनांक 19.12.2014 को खारिज किया जाता है तथा पत्रावली तहसीलदार भादरा को प्रेषित कर आदेश दिया जाता है कि मुताबिक बैयनामा दिनांक 23.06.2011 के अनुसार पुनः इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 12/01/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.10 15:11:56 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)